



# उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 09 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1945  
(30 नवम्बर, 2023)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्नि

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।  
2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

- (1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023
- (2) उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023  
(श्री अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।)
- (3) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

3-मुख्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 का वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का आर्थिक चिट्रा एवं आय-व्यय खाता तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा-63(3), सपष्टित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा-19(3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-3447/862023/8601003(001)3-2021, दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज

(परिहार) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2023 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67 सन् 1957) की धारा-28 की उपधारा (3) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1040/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-229-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(287)-2023, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1139/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-228-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(288)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

7-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1141/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-230-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(289)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

8-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1142/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-231-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(290)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1143/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-232-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(291)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

10-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1164/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-233-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(292)-2023, दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

11-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1345/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-236-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(293)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

12-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1346/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-237-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(294)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

13-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1347/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-238-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(295)-2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

14-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1348/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-239-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(296)-2023, दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

15-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1338/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-234-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(297)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

16-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1339/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-235-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(298)-2023, दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

17-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1428/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-242-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(300)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर,

2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

18-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1429/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-243-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(301)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

19-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1432/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-246-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(302)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

20-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1433/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-247-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(303)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

21-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1434/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-248-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(304)-2023, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

22-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1426/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-240-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(305)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

23-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1430/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-244-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(306)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

24-मुख्य मंत्री, राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1431/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-245-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(307)-2023, दिनांक 06 नवम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

25-वित्त मंत्री, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-ऑडिट-2-12/दस-2023-607(8)/66, दिनांक 24 अगस्त, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (पंचम संशोधन) नियमावली, 2023 को भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या-9 सन् 1932) की धारा-71 के उपधारा (4) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

26-जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 द्वारा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, बॉया तट, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ का वित्तीय वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा 394 के उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन की मेज पर रखेंगे।

27-जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 द्वारा बाँध सुरक्षा संगठन, वाल्मी भवन उत्तरेटिया, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 को बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 41) की धारा-45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

28-ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-यू0पी0ई0आर0सी0/सचिव आर0एस0पी0वी0 नियमावली/002, दिनांक 17 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की यू0पी0ई0आर0सी0 (रुफटाप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियां सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन) को विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 36) की धारा-182 के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

29-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-117/2023/2849/30-3-2023, दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना जाँच योजना, 2023 को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-135 की उपधारा (2) के अधीन सदन की मेज पर रखेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद  
में वितरित की  
जायेंगी।

30-श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, कार्यकारी सभापति, शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जांच समिति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जांच समिति का वर्ष 2009 से 2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद  
में वितरित की  
जायेंगी।

31-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के वर्ष 2022-2023 का गृह विभाग से सम्बन्धित इक्यावनवां प्रतिवेदन, जो श्री दीन दयाल त्रिपाठी के पैतृक आवास, ग्राम-पूरे बलराम, थाना-घम्मौर (अमेठी), जिला-सुल्तानपुर, में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में, बिबिता पुत्री श्री गिरधारी पासी, निवासिनी-सराय सुल्तान, थाना-बहरिया, प्रयागराज का विपक्षी श्री शिवशंकर पुत्र मंगल निवासी-रामसहाय का पूरा, थाना-रानीगंज, जनपद-प्रतापगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करने व दिनांक 20-05-2014 को थाना-बहरिया, प्रयागराज में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-162/14 अन्तर्गत धारा-376, 505 आई0पी0सी0, में पीड़िता से जबरिया सुलह कराने हेतु सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा भरतलाल निवासी-458, ताड़बाग, सुलेम सराय, थाना-धूमनगंज, जिला-प्रयागराज की दिनांक 25 जून, 2013 से गुमशुदा पुत्री की थाना पुलिस द्वारा अब तक बरामदगी न हो जाने के कारण जिलाधिकारी/विरिष्ट पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधीक्षक (क्राइम ब्रांच), प्रयागराज से प्रभावी कार्यवाही कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद  
में वितरित की  
जायेंगी।

32-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के वर्ष 2022-2023 का राजस्व विभाग से सम्बन्धित बावनवां प्रतिवेदन, जो जनपद-मथुरा के तहसील-मांट से श्री निरंजन सिंह बघेल (गठरिया) समस्त परिवार एवं अन्य द्वारा फर्जी रूप से अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में, श्री रामस्वरूप पुत्र छविनाथ उर्फ शिवनाथ, निवासी ग्राम व पोस्ट-मसवाही, तहसील-सदर, जनपद-उन्नाव को ग्राम समाज द्वारा आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त न कर उन्हीं को दिये जाने के सम्बन्ध में एवं श्री अशोक कुमार निवासी मनी का पुरवा, मजरे-भितरी,

पोस्ट-तेजवापुर, थाना-लोनी कटरा, जनपद-बाराबंकी का दलित उत्पीड़न किये जाने से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

33-श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के वर्ष 2022-2023 का लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित तिरपनवां प्रतिवेदन, जो जनपद-प्रयागराज के सर्किट हाउस में स्टाफ बढ़ाने एवं ट्र्यूबवेल रि-बोर कराने के सम्बन्ध में, लोक निर्माण विभाग के (मुख्य अभियन्ता) मुख्यालय-1 में वैयक्ति के पद पर तैनात श्री जितेन्द्र कुमार को सुश्री नीमा पंत, वैयक्ति सहायक द्वारा कार्यभार न सौंपे जाने के सम्बन्ध में, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्त कर्मचारियों को वरिष्ठता सूची के आधार पर तैनाती दिलाये जाने के सम्बन्ध में एवं विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद-रायबरेली में ग्राम तिलेण्डा-हलोरमार्ग से गोविन्दपुर सीमा तक के कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

34-डा० प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2022-2023) का तेइसवां प्रतिवेदन, जो दिनांक 29 मई, 2023 से 04 जून, 2023 तक वाराणसी एवं कानपुर मण्डल के अन्तर्गत जनपद-वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर तथा कानपुर में बेसिक शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग (उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यावरण विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, गृह विभाग एवं जिला कारागारों के स्थलीय निरीक्षण/अध्ययन भ्रमण एवं विभागीय समीक्षा से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगी।

35-उप मुख्य मंत्री, जनपद-लखीमपुर खीरी सहित पूरे प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कायाकल्प हेतु परियोजना निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता व श्री रामचन्द्र प्रधान, सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 07 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-उप मुख्य मंत्री, स्व० दीपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के पुत्र श्री अभिनव मणि त्रिपाठी को मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर सेवायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री शहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

37-मुख्य मंत्री, बरेली से अमृतसर के लिये सीधी हवाई यात्रा सेवा प्रारम्भ करवाये जाने के सम्बन्ध में डा० हरी सिंह ठिल्लो व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-पशुधन मंत्री, जनपद-मुरादाबाद के पशु सेवा केन्द्र, बाजपुर मान पर पशुधन प्रसार अधिकारी की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व डा० रतनपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-उप मुख्य मंत्री, जनपद-बाराबंकी की तहसील-सिरोली गौसपुर में स्थित कोटवाधाम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

40-उप मुख्य मंत्री, चीफ फार्मासिस्ट कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रयागराज से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर किये गये स्थानान्तरण के परिप्रेक्ष्य में तत्काल अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिंसू', सदस्य विधान परिषद् द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

41-महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष/सदस्यों के मानदेय का भुगतान व दो कार्यालय की निरंतरता किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2023 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

42-डा० सरोजनी अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-शेखपुरी, विकास खण्ड रोहटा, जनपद मेरठ के

निवासियों की ओर से प्राइमरी पाठशाला के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'ग')

43-डा० सरोजनी अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-शेखपुरी, विकास खण्ड रोहटा, जनपद मेरठ के निवासियों की ओर से कम्पोजिट विद्यालय की चाहरदीवारी ऊंची कराकर विद्यालय में सी०सी० टाईल्स लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'घ')

44-डा० आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पूरे गनपत मजरे डोमापुर, विकास खण्ड व तहसील-महराजगंज, जनपद रायबरेली के निवासियों की ओर से राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'ड')

45-डा० आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत जवाहर कालोनी, रुनकता, जनपद-आगरा के निवासियों की ओर से सी०सी० सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'च')

46-श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के ग्राम व पोस्ट-सुल्तानपुर पेराजोर, ब्लाक-सरवन खेड़ा, तहसील-अकबरपुर (माती), जनपद-कानपुर देहात के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'छ')

47-श्री राज बहादुर सिंह चन्देल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-वीरभानपुर, पोस्ट व तहसील-मेहनगर, जनपद-आजमगढ़ के निवासियों की ओर से घरों व बगीचे के ऊपर से गुजरने वाले 1100 वोल्ट के विद्युत तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'ज')

48-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कोठिया, विकास खण्ड-पलिया,

जनपद-लखीमपुर खीरी के निवासियों की ओर से अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'झ')

49-श्री भीमराव अम्बेडकर, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-राधानगरी व गोसाईखेड़ा, ब्लाक-असोहा जनपद-उन्नाव के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिये देखिये नथी 'ज')

50-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

51-मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

52-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

53-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

54-आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाये।

55-आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये।

56-वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

लखनऊ :

गुरुवार, 09 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1945

(30 नवम्बर, 2023)

आज्ञा से,

डा० राजेश सिंह,

प्रमुख सचिव।

30 नवम्बर, 2023

विधान परिषद् के तृतीय सत्र (2023) का प्रथम गुरुवार

प्रश्न सरकार को भेजने/  
संख्या प्राप्त होने की तिथि  
\*1 27-7-2023



## नत्थी 'क'

गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर, सन् 2023 ई०

[माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर परिषद् की दिनांक 10 अगस्त,  
2023 की बैठक में स्थगित तारांकित प्रश्न]

नगरीय मलेरिया इकाई, वाराणसी में क्षेत्र सेवकों के रिक्त  
पदों एवं वाड़ों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा

1

\*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) उप मुख्य मंत्री  
बतायेंगे कि नगरीय मलेरिया इकाई, वाराणसी में क्षेत्र सेवकों  
के पदों की कुल स्वीकृत संख्या के सापेक्ष कितने पद  
रिक्त हैं ?

(ख) क्या उक्त रिक्त पद यथाशीघ्र भरे जायेंगे ?

(ग) क्या वाराणसी नगर निगम में वाड़ों की संख्या  
बढ़ने पर उक्त पदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?



30 नवम्बर, 2023

विधान परिषद् के तृतीय सत्र (2023) का प्रथम गुरुवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
* 1	22-9-2023
* 2	22-9-2023
* 3	22-9-2023
* 4	22-9-2023
* 5	22-9-2023
* 6	5-10-2023
* 7	3-11-2023
* 8	9-11-2023
* 9	14-11-2023
*10	14-11-2023
*11	14-11-2023
*12	14-11-2023
*13	14-11-2023
*14	14-11-2023
*15	14-11-2023
*16	14-11-2023
*17	14-11-2023
*18	14-11-2023



प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	22-9-2023
2	22-9-2023
3	22-9-2023
4	5-10-2023
5	5-10-2023
6	5-10-2023
7	16-10-2023
8	16-10-2023
9	30-10-2023
10	30-10-2023
11	30-10-2023
12	30-10-2023

अतारांकित प्रश्न

नथी ‘ख’

गुरुवार, दिनांक 30 नवम्बर, सन् 2023 ई०

तारांकित प्रश्न

दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 अगस्त, 2023 के मध्य प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नियुक्त चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार कराये जाने के सम्बन्ध में

डा० मान सिंह यादव

1

\*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 अगस्त, 2023 के मध्य, प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कितने चिकित्सक सेवानिवृत्त हुए और कितने नये चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या संविदा/आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत भी चिकित्सकों को प्रदेश के मेडिकल कालेजों में नियुक्त किया जाता है ?

(ग) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ?

(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

**मदरसा शिक्षकों के मानदेय का केन्द्रांश मार्च माह में दिलाये  
जाने के सम्बन्ध में**

श्री आशुतोष सिन्हा

2

\*2-(क) क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बतायेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण  
मंत्री  
ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान गुरुवार दिनांक 02 मार्च, 2023  
को तारांकित प्रश्न संख्या-5 के प्रत्युत्तर में मदरसा शिक्षकों के  
मानदेय का केन्द्रांश मार्च माह में देने की बात कही गई थी ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या मदरसा शिक्षकों का केन्द्रांश दे  
दिया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत 22 गाँवों  
के मध्य ग्राम सभा-समुखा में राजकीय प्राथमिक  
चिकित्सालय/प्रसव केन्द्र स्थापित कराये  
जाने के सम्बन्ध में

श्री अशोक अग्रवाल

3

\*3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)  
बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2022 जो  
आपको सम्बोधित जनपद हरदोई के 22 ग्रामों के मध्य ग्राम  
समुखा, विधानसभा-माधौगंज, तहसील-बिलग्राम, जनपद हरदोई में  
सरकार की महत्वाकांक्षी ग्रामीण चिकित्सा योजना से ग्राम  
सभा-समुखा में एक राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय/प्रसव  
केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा  
उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) क्या ग्रामीण जनता की चिकित्सीय कठिनाइयों को  
देखते हुए प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र जनपद-हरदोई के  
विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत 22 गाँवों के मध्य ग्राम  
सभा-समुखा में प्राथमिकता के आधार पर सरकार की  
महत्वाकांक्षी ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत एक  
राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय/प्रसव केन्द्र स्थापित कराये  
जाने हेतु जिला योजना में सम्मिलित कराते हुए स्वीकृति प्रदान  
करा दी गयी है ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक चिकित्सालय खोल कर  
जनहित की चिकित्सीय कठिनाइयों का निदान करायेंगे ?

**उ0प्र0 में गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की समय-सीमा निर्धारित कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर

4

\*4-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि उ0प्र0 में गोल्डेन कार्ड बनाये गये हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या गोल्डेन कार्ड सभी पात्र लोगों के बन चुके हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो सभी पात्रों के गोल्डेन कार्ड बनाये जाने की समय-सीमा निर्धारित करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ड) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद-सिद्धार्थनगर में चल रही दुर्घशालाओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री श्रुति कुमार त्रिपाठी

5

\*5-(क) क्या दुर्घ विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में कितने लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन होता है तथा प्रतिदिन दूध उत्पादन के सापेक्ष कितने लीटर दूध की खपत की जाती है ?

दुर्घ विकास मंत्री

(ख) जनपद-सिद्धार्थनगर में कितनी दुर्घशालाएं स्थापित हैं ?

(ग) क्या सिद्धार्थनगर की जिला योजना की बैठक में दुर्घ उत्पादन अति न्यून बताया गया था ?

(घ) क्या केवल कागज में चल रही दुर्घशालाओं की उच्च स्तरीय जांच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

**के0जी0एम0यू0 और डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा**

**संस्थान में संविदा की अवधि पूरी होने के उपरान्त चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में**

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

6

\*6-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि के0जी0एम0यू0 और डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में संविदा की अवधि पूरी होने के उपरान्त चिकित्सकों की नियुक्ति कब तक करा दी जायेगी ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्रयागराज, लखनऊ तथा गोरखपुर मण्डल में दिनांक**

**01 जनवरी, 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक आवारा**

**पशुओं से हुयी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में**

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

7

\*7-(क) क्या पशुधन मंत्री बतायेंगे कि प्रयागराज, लखनऊ तथा गोरखपुर मण्डल में 01 जनवरी, 2023 से 30 सितम्बर, 2023 तक आवारा पशुओं द्वारा कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ?

पशुधन मंत्री

(ख) उक्त दुर्घटनाओं में कितने लोग धायल हुये तथा कितने लोगों की मौतें हुई हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो उक्त दुर्घटनाओं में धायल तथा मृत लोगों के आश्रितों को दुर्घटना सहायता की कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ?

(घ) आवारा पशुओं के द्वारा हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(ङ) उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

**सैफई आयुर्विज्ञान हास्पिटल में लगी मशीनों की संख्या एवं उनकी स्थिति के सम्बन्ध में**

श्री मुकुल यादव

8

\*8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि सैफई आयुर्विज्ञान हॉस्पिटल (मिनी पी0जी0आई0) में कितनी मशीनें जैसे सिटी स्कैन, वेन्टीलेटर आदि की व्यवस्था है तथा उनमें से कितनी मशीनें खराब हैं और कितनी मशीनें चालू हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त खराब एवं बन्द मशीनों को तत्काल चालू करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) प्रधानमंत्री केयर फण्ड से लगावाये गये वेन्टीलेटरों में से कितने वेन्टीलेटर क्रियाशील हैं ?

**वर्ष 2023 हेतु जारी स्थानान्तरण नीति का अनुपालन**

**निदेशक, आयुर्वेद सेवाओं द्वारा कराये जाने**

**के सम्बन्ध में**

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

9

\*9-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि शासन के कार्मिक विभाग द्वारा वर्ष 2023 हेतु दिनांक 07-06-2023 को निर्गत की गयी स्थानान्तरण नीति का अनुपालन निदेशक, आयुर्वेद सेवायें द्वारा दिनांक 30 जून, 2023 को जारी आयुर्वेद फार्मासिस्टों की स्थानान्तरण सूची में किया गया है ?

आयुष राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) प्रदेश में कितने आयुर्वेद फार्मासिस्ट ऐसे हैं, जो 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उनकी सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) क्या स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किये गये स्थानान्तरणों की जाँच कराकर स्थानान्तरण निरस्त कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा

\*10-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

10

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

\*11-[अन्तरित]

11

**वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अन्तर्गत प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगाई गयी नयी अल्ट्रासाउण्ड मशीनों की संख्या के सम्बन्ध में**

डा० मान सिंह यादव

उप मुख्य मंत्री

12

बतायेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के अन्तर्गत कितने सामुदायिक केन्द्रों पर दिनांक 12 सितम्बर, 2023 तक नयी अल्ट्रासाउण्ड मशीनें लगा दी गई हैं और आगे क्या लक्ष्य है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

**प्रदेश में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर खोले जाने के सम्बन्ध में**

श्री भीमराव अम्बेडकर

उप मुख्य मंत्री

13

बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर खोले गये हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त सेन्टर प्रत्येक गाँव में खोले जायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० मान सिंह यादव

14

प्रदेश में पर्यटन के विकास हेतु संचालित योजनाओं एवं  
विकास हेतु कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

पर्यटन मंत्री

\*14-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पर्यटन  
के विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही  
हैं, उक्त योजनाओं से पर्यटकों को किस प्रकार और कितना  
लाभ प्राप्त हो रहा है ?

(ख) क्या पर्यटन के विकास हेतु सरकार द्वारा आगामी  
कोई कार्य योजना बनायी जायेगी ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज  
पर रखेंगे ?

प्रदेश में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु संचालित मदरसों की  
अनुदान राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

श्री भीमराव अम्बेडकर

15

\*15-(क) क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बतायेंगे कि  
उ०प्र० में अल्पसंख्यकों की शिक्षा हेतु मदरसे संचालित हैं ?

अल्पसंख्यक कल्याण

मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान में कितने मदरसों को अनुदान  
सूची में रखा गया है ?

(ग) अनुदान सूची में रखे गये मदरसों को प्रति मदरसा  
कितना अनुदान निर्धारित किया गया है ?

(घ) क्या मदरसों की व्यवस्था सुधारने हेतु अनुदान  
राशि बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

जनपद-गोरखपुर में स्थित बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में  
आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में आ रही  
समस्याओं के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

16

\*16-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)  
बतायेंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिये शुरू की गयी  
आयुष्मान योजना में जनपद-गोरखपुर के बी०आर०डी०  
मेडिकल कालेज में आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में  
आ रही समस्याओं को कब तक दुरुस्त करा लिया जायेगा ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या मेडिकल कालेज के कर्मचारी आयुष्मान योजना के तहत आने वाले मरीजों की मदद नहीं कर सकते हैं ?

(ग) क्या जानकारी के अभाव में एवं कर्मचारियों द्वारा मदद न किये जाने की वजह से आयुष्मान योजना के लाभार्थी भी अपना इलाज आयुष्मान योजना के अन्तर्गत कब तक करायेंगे ?

(घ) मेडिकल कालेज में मरीजों के उपचार हेतु आयुष्मान योजना की सुविधा कब तक सुचारू रूप से प्रारम्भ करायेंगे ?

**प्रदेश के राजकीय बाल गृहों में रह रहे उपेक्षित बच्चों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में**

श्री आशुतोष सिन्हा

17

\*17-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि राजकीय बाल गृहों आदि में रह रहे उपेक्षित बच्चों को पौष्टिक भोजन न मिलने, खेल के मैदान की सुविधा नहीं होने बच्चों की अत्यधिक संख्या एवं खराब स्थिति को अवलोकित करते हुए मात्र उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश की गम्भीर टिप्पणी राजकीय गृहों की हालत जेल से भी बदतर हो गयी है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार की छवि धूमिल करने वाले उत्तरदायी योजना अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

(ख) क्या सरकार मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत अनुरक्षण मद, सामग्री सम्पूर्ति मद व अन्य व्यय के मद में जनपद-प्रयागराज वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली और सहारनपुर में विगत 5 वर्ष में प्राप्त करोड़ों के बजट में हुए घोटाले/प्रष्टाचार की जांच करायेगी ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

**जनपद-गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में तैनात प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में**

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

18

\*18-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल

उप मुख्य मंत्री

कालेज में तैनात प्रधानाचार्य द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं ?

(ख) क्या उसकी जांच किसी स्वतंत्र व निष्पक्ष एजेंसी द्वारा करायी जायेगी ?

(ग) प्रधानाचार्य द्वारा जीवन रक्षक उपकरणों की खरीद में भी अनियमिततायें कर मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन को भी खतरा बना रहता है ?

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर अब तक शासन द्वारा बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में विभिन्न मदों में भेजी गयी राशि किन-किन मदों में खर्च की गयी ?

(ङ) गोरखपुर मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य की सेवा में अनियमितता को देखते हुये इन्हें कई बार विभाग द्वारा निलम्बित भी किया गया है ?

(च) क्या उपकरणों की खरीद में मानक और बाजार मूल्य से अधिक का भुगतान किया गया है ?

(छ) क्या उपरोक्त मदों में किये गये व्यय की किसी सक्षम एजेंसी से जांच करायेंगे ?

### अतारांकित प्रश्न

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

1

बाल विकास एवं  
पुष्टाहार मंत्री

1-(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि जनपद-महाराजगंज में विगत तीन वर्षों से कितने कुपोषण के शिकार बच्चे चिन्हित किये गये ?

(ख) उक्त कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषणयुक्त बच्चे बनाने हेतु कौन-कौन से उपाय किये गये तथा कितने बच्चों को कुपोषण से बचाया गया ?

(ग) क्या उक्त कुपोषित बच्चों के निमित्त प्रदत्त सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ?

(घ) क्या उक्त की उच्च स्तरीय जाँच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी

2

बाल विकास एवं  
पुष्टाहार मंत्री

2-(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 01 अप्रैल, 2019 से 31 अगस्त, 2023 तक कितने कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन

किया गया तथा उनमें से कितने बालक एवं कितनी बालिकाएं थीं ?

(ख) क्या उक्त बच्चों को कुपोषण से मुक्त कराने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ?

(ग) क्या जनपद-सिद्धार्थनगर में कुपोषण से कुपोषित बच्चों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा दी गई संख्या कमोवेश एक दशक से एक ही जैसी है, और खुलेआम सरकारी धन और प्रदत्त सामग्रियों की खुली लूट की गई है ?

(घ) क्या उक्त की उच्च स्तरीय जांच कराकर जांच आव्यासदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री अशोक अग्रवाल

3

उप मुख्य मंत्री  
3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2023 व डा० अमित सिंह चौहान, विधायक का पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2023 जो जनपद हरदोई, तहसील-बिलग्राम, विकास खण्ड-माधौरांज के अन्तर्गत क्षेत्रीय चिकित्सीय समस्याओं के दृष्टिगत 22 गांवों के मध्य ग्राम सभा-समुद्घा, प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/महिला स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कराये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे, तथा उक्त पत्र पर शासन/जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(ग) क्या जनहित में ग्रामीण जनता की चिकित्सीय कठिनाइयों को देखते हुए प्राथमिकता पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक जनता हेतु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल बिहारी यादव

4

मुख्य मंत्री  
4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद मऊ में आम चुनावों में सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं को मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है ?

(ख) क्या उक्त मास्टर ट्रेनरों को टी०ए०, डी०ए० दिया जाता है ?

डा० मान सिंह यादव

5

श्री आशुतोष सिन्हा

6

श्री पवन कुमार सिंह

7

डा० मान सिंह यादव

8

(ग) जिन कर्मचारियों द्वारा मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उनको टी०ए०, डी०ए० दिया जाता है ?

(घ) यदि सभी कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग प्राप्त करने आते हैं उनको टी०ए०, डी०ए० दिया जाता है, तो जो मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देने आता है, उसको टी०ए०, डी०ए० क्यों नहीं दिया जाता है ?

(ङ) मास्टर ट्रेनर को चुनाव आयोग के अनुसार प्रतिदिन नास्ते के लिये 150 रुपये निर्धारित है वह पैसा क्यों नहीं दिया जाता ?

(च) यदि दिया गया हो, तो विगत चुनाव का ब्योरा सदन की मेज पर रखेंगे ?

(छ) यदि नहीं, तो क्यों ?

5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि सामुदायिक केन्द्र चायल जनपद-कौशाम्बी की बिल्डिंग की पुताई कब से नहीं हुई है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त बिल्डिंग की पुताई न होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की शोभा खराब हो रही है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक उक्त बिल्डिंग की पुताई का कार्य करायेंगे ?

6-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

7-(क) क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम पं० भागीपुर में 400 वर्ष पुराना शिव मन्दिर अत्यन्त जर्जर अवस्था में है, मन्दिर जर्जर होने के कारण श्रद्धालुओं व साधु-संतों को हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है ?

पर्यटन मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मन्दिर का जीर्णोद्धार करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इटियाथोक में कार्मिकों के द्वारा कार्य में लापरवाही व अन्य के

उप मुख्य मंत्री

सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा को सम्बोधित पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2023 को ग्राम हरदैया भटपुरवा जनपद गोण्डा के नागरिकों का शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रार्थना-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त मुख्य बिन्दुओं के आधार पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह

9

9-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि आयुष विभाग द्वारा जनपद सीतापुर में निर्धारित डाक्टर्स टैनात न होने से जन मानस को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है ?

आयुष राज्य मंत्री  
(स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या जन मानस की स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या के निदान हेतु आयुष डाक्टर्स की नियुक्ति करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा

10

10-(क) क्या दुर्घ विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कन्नौज के उमर्दा स्थित डेयरी प्लान्ट को पूरी क्षमता के साथ उत्पादन कार्य हेतु कब तक दुबारा प्रारम्भ किया जायेगा ?

दुर्घ विकास मंत्री

(ख) उपरोक्त डेयरी प्लान्ट में दूध आपूर्तिकर्ताओं का कितना भुगतान बाकी है ?

(ग) उक्त भगुतान कब तक कर दिया जायेगा ?

(घ) उपरोक्त डेयरी प्लान्ट के द्वारा उत्पादित उत्पादों का व्यापार बढ़ाये जाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री आशुतोष सिन्हा

11

11-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि जनपद-कन्नौज के तहसील तिर्वा में स्थित राजकीय पैरामेडिकल कालेज के भवन में शिक्षण कार्य कब से चालू करायेंगे ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) उपरोक्त पैरामेडिकल कालेज में कुल कितने पद सृजित हैं उसके सापेक्ष कितने पदों पर भर्ती की गयी है तथा कितने पद खाली हैं ?

(ग) उपरोक्त पैरामेडिकल कालेज को तिर्वा कन्नौज मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कर जोड़ने का कार्य कब तक पूर्ण करायेंगे ?

श्री आशुतोष सिन्हा

12

उप मुख्य मंत्री  
12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज में स्थित हृदय रोग संस्थान व कैंसर रोग संस्थान के निर्मित भवन में ओ०पी०डी०, इलाज व आपरेशन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(ख) सी०टी० स्कैन व एम०आर०आई० की मशीनों से रिपोर्ट फिल्म सहित कब से मिलना चालू हो जायेगी ?

(ग) उपरोक्त मेडिकल कालेज, हृदय रोग संस्थान व कैंसर संस्थान मे कुल कितने पद सृजित हैं, उक्त के सापेक्ष कितने पदों पर भर्ती हो गयी है ?

(घ) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

-----



## नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

आदरणीय सदन,  
विधान परिषद् उ०प्र०।

विषय :- प्राइमरी पाठशाला के जर्जर भवन के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका।

महोदय,

निवेदन यह है कि हमारे गाँव-शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा, जिला-मेरठ में प्राइमरी पाठशाला अत्यन्त जर्जर हो चुकी है, उसकी छत का लिंटर टूटकर नीचे गिर गया है, जिससे बच्चों का कक्षा में बैठकर पढ़ना सम्भव नहीं है। जूनियर पाठशाला के एक कमरे में दो-दो कक्षा चल रही है, बच्चों की समस्या को देखते हुए हम लोगों ने क्षेत्रीय अधिकारियों को कई बार प्रार्थना-पत्र दिया है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि इस कार्य हेतु जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि गाँव-शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा, जिला-मेरठ में जर्जर हुई प्राइमरी पाठशाला के भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने की कृपा करें। रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से भेजे गये पत्रों की रसीद की कापी संलग्न है।

प्रार्थीगण,

08 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

आदरणीय सदन,  
विधान परिषद् उ०प्र०।

महोदय,

निवेदन यह है कि हमारे ग्राम-शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा में कम्पोजिट विद्यालय ग्राम शेखपुरी में स्कूल की चहारदीवारी छोटी होने के कारण स्कूल में आए दिन कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है। दीवार छोटी होने से भी दो बार स्कूल में चोरी भी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट हमने पुलिस थाने में कराई है। हम लोगों ने क्षेत्रीय अधिकारियों को इस कार्य हेतु कई बार प्रार्थना-पत्र भी दिया है, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-शेखपुरी, विकास खण्ड-रोहटा में कम्पोजिट विद्यालय ग्राम शेखपुरी में स्कूल की चहारदीवारी ऊँची कराकर स्कूल में सी०सी० टाईल खड़न्जा कराने की कृपा करें। सदन के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र रजिस्टर्ड जिलाधिकारी को दिया गया है। जिसकी रसीद प्रार्थना-पत्रों के साथ संलग्न है।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'ड़'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत तहसील-महराजगंज, विकास खण्ड-महराजगंज, ग्राम पंचायत-पूरे गनपत, मजरे डोमापुर में किसान के खेत में एक राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि प्रार्थीगण श्री गंगाराम पाल पुत्र जगप्रसाद पाल, ग्राम पंचायत-पूरे गनपत, मजरे डोमापुर, विकास खण्ड-महराजगंज, तहसील-महराजगंज, जनपद-रायबरेली के निवासीगण हैं। हमारे गाँव में सिंचाई के लिये कोई सरकारी ट्र्यूबवेल नहीं लगे हैं। जिससे वहाँ पर जो ट्र्यूबवेल लगे हुए हैं सिंचाई के समय पानी बहुत कम आता है। जिससे किसानों को खेत की सिंचाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वहाँ के लोगों द्वारा स्थानीय अधिकारियों से कई बार प्रार्थना की गयी, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से हम याचिकाकर्ता की विनम्र प्रार्थना है कि जनहित एवं लोक महत्व में हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए जनपद-रायबरेली के अन्तर्गत तहसील-महराजगंज, विकास खण्ड-महराजगंज, ग्राम पंचायत-पूरे गनपत, मजरे डोमापुर में गंगाराम पाल पुत्र जगप्रसाद पाल के खेत में एक राजकीय नलकूप लगाये जाने के लिये सदन की याचिका समिति से स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा० सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** राष्ट्रीय मार्ग-2 के नाले से रुनकता पुलिस चौकी के सामने जवाहर कोलोनी में लगभग 800 मीटर तक सी०सी० रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम समस्त जवाहर कोलोनी रुनकता आगरा के निवासी हैं, प्रार्थीगणों की कोलोनी की सड़क नव निर्मित नाले के निर्माण होने से काफी नीचे हो गयी है, जिसके कारण समस्त कोलोनी का पानी कालोनी के पीछे स्थित कब्रिस्तान व विद्यालय के खेल के मैदान में इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण घर के सामने पानी भर जाता है, जिस कारण इस मार्ग पर चलना दूभर हो गया है। इसके लिए कई बार ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु आज तक कार्य नहीं कराया गया है, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध है।

अतः श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया उक्त मार्ग सी०सी० रोड के निर्माण के सम्बन्ध में प्रकरण याचिका समिति के विचारार्थ स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,  
विधान परिषद्,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद कानपुर देहात, ग्राम एवं पोस्ट-सुल्तानपुर पेराजोर, तहसील-अकबरपुर (माती), ब्लाक-सरवनखेड़ा के अन्तर्गत सार्वजनिक सम्पर्क मार्ग (सड़क) निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण ग्राम व पोस्ट-सुल्तानपुर पेराजोर कानपुर देहात के निवासी हैं। सुल्तानपुर पेराजोर के पूर्वी किनारे में सड़क सही नहीं होने के कारण रास्ते में जलभराव रहता है, जिसके कारण वाहन ही नहीं हम सभी लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल है। जलभराव से बचने के लिए उपरोक्त सड़क का निर्माण कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि जिला स्तर पर धन उपलब्ध होने की जानकारी मिली है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि ग्राम सुल्तानपुर पेराजोर में उपरोक्त मार्ग को ठीक कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

10 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा० सदन,  
विधान परिषद्  
उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जनपद आजमगढ़ के ग्राम वीरभानपुर, पोस्ट व तहसील मेहनगर, स्थित प्रार्थीगणों के बागीचे से होकर गुजरे हुये 11000 वोल्ट के विद्युत तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका।

महोदय,

निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम वीरभानपुर, पोस्ट व तहसील मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के मूल निवासी हैं। हमारे उपरोक्त ग्राम वीरभानपुर स्थित बागीचे के ऊपर से 11000 वोल्ट का विद्युत तार गुजरा हुआ है जो बागीचे में लगे हुये आम एवं अन्य कई पेड़ों को छूते हुये गुजरता है, जिससे उक्त पेड़ों में रह-रह कर करेन्ट आता है और चिनारी निकलती है, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, आजमगढ़ को कई बार लिखित प्रार्थना-पत्र भी दिये गये हैं किन्तु आज तक उक्त 11000 वोल्ट के तारों को नहीं हटवाया जा सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त ग्राम स्थित बागीचे के ऊपर से गये 11000 वोल्ट के विद्युत तारों को जनहित में पंडित दीनदयाल योजना के अन्तर्गत हटवाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेशित करने का कष्ट करें।

हम सब प्रार्थीगण,  
ग्राम वीरभानपुर,  
पोस्ट व तहसील मेहनगर,  
जनपद आजमगढ़।  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'झ'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा० सदन,  
विधान परिषद्  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोठिया, विकास खण्ड-पलिया, जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोठिया में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं। किन्तु इस ओर कोई सफलता नहीं मिल सकी।

अतः मा० सदन से आग्रह है कि ग्राम पंचायत कोठिया जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोठिया में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराये जाने हेतु याचिका समिति को सन्दर्भित करने की कृपा करें। इस हेतु जिला स्तर पर धनराशि भी उपलब्ध है।

प्रार्थीगण,  
ग्राम पंचायत कोठिया,  
विकास खण्ड-पलिया,  
जनपद-लखीमपुर खीरी।  
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

## नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि  
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

मा० सदन,  
विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।

**विषय :-** जिला-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से ग्राम सभा गोसाई खेड़ा होते हुए ग्राम सभा राधा नगरी तक (ल० लगभग 1.5 कि०मी०) के जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग से जंगली कटीले बबूल आदि के पेड़ों को हटवाते हुए उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

आदरणीय सदन,

हम याचीगण जिला-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के निवासीगण हैं। हम सभी याचीगण कृषि एवं मजदूरी आदि कार्य करते हैं। जिला-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से ग्राम गोसाई खेड़ा होते हुए ग्राम सभा राधा नगरी को आपस में जोड़ने वाले मार्ग पर दो दशक से पूर्व खड़न्जा का निर्माण कराया गया था, जो कि वर्तमान में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग ने बड़े-बड़े गड्ढों का रूप ले लिया है तथा उक्त मार्ग से जंगली कटीले बबूल आदि पेड़ों को नहीं हटाये जाने एवं उक्त अत्यधिक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण नहीं होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण जनता एवं राहगीरों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन राहगीरों के साथ सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। कई बार स्थानीय विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त मार्ग का सर्वे कर आगणन भी बनाया गया और जिसका अनुमोदन जिला पंचायत, उन्नाव की बैठक दिनांक 24-04-2023 द्वारा कर दिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त धनराशि से उक्त क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु निर्देश भी दिये गये। हम याचीगणों एवं क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार स्थानीय उच्च अधिकारियों एवं शासन तथा सरकार से क्षतिग्रस्त सड़क से जंगली कटीले पेड़ों को हटाने एवं क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण/मरम्मत यथाशीघ्र किये जाने का कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु अभी तक उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण/मरम्मत हेतु शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः प्रार्थना है कि जनहित में जिला-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत मुख्य मार्ग से ग्राम गोसाई खेड़ा होते हुए ग्राम सभा राधा नगरी तक (ल० लगभग 1.5 कि०मी०) की जर्जर/क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

-----

---

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा मुद्रित।